[1][धारा 11क : साधारण पद्धति के परिणामस्वरुप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, –

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पुर्ति पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण (उसके गैर उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या है–

(i) उन मामलों में जहां उक्त पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, केंद्रीय कर; या

(ii) केंद्रीय कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है

तो केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण केंद्रीय कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय केंद्रीय कर के आधिक्य में केंद्रीय कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर केंद्रीय कर उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा नियम 11क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।